उत्तराखण्ड शासन
वित्त(वे० आ०–सा० नि०) अनुभाग–7
संख्याः– /XXVIII(7)/18–50(14)/2017
देहरादून: दिनांक २३ जनवरी, 2019

कार्यालय–ज्ञाप

वेतन समिति, उत्तराखण्ड (2016) के तृतीय प्रतिवेदन में की गयी संस्तुतियों पर शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त लिये गये निर्णय के कम में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों (यू०जी०सी०, ए०आई०सी०टी०ई०, आई०सी०ए०आर० वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) को निम्नलिखित तालिका के अनुसार दिनांक 01 फरवरी, 2019 से निम्नानुसार मकान किराया भत्ता को संशोधित/पुनरीक्षित किये जाने की श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि रु० में)

क. सं.	वेतन लेवल/ग्रेड वेतन (रू0)	श्रेणी "बी–2" (देहरादून, मसूरी, पौड़ी, नैनीताल एवं रानीखेत के शहरी क्षेत्र	श्रेणी "सी" समस्त जनपदीय मुख्यालय, काशीपुर, रूद्रपुर, हल्द्वानी कम काठगोदाम, रूड़की, भवाली, चकराता, मुक्तेश्वर, कोटद्वार, ऋषिकेश, दुगड्डा, श्रीनगर के शहरी क्षेत्र	"अवर्गीकृत श्रेणी" कालम–3 व 4 के अतिरिक्त अन्य समस्त नगरीय क्षेत्र।
1	2	3	4	5
1.	18000–56900 (लेवल–1)	2500	2100	1800
2.	19900–63200 (लेवल–2)	2500	2100	1800
3.	21700–69100 (लेवल–3)	2500	2100	1800
4.	25500–81100 (लेवल–4)	2500	2100	1800
5.	29200–92300 (लेवल–5)	2650	2100	1800
6.	35400–112400 (लेवल–6)	3200	2500	1800
7.	44900–142400 (लेवल–7)	4050	3150	2250
8.	47600–151100 (लेवल–8)	4300	3350	2400
9.	53100–167800 (लेवल–9)	4800	3750	2700
10	56100–177500 (लेवल–10)	5050	3950	2850
11	67700–208700 (लेवल–11)	6100	4750	3400
12	78800–209200 (लेवल–12)	7100	5550	3950
13	123100–215900 (लेवल–13)	11100	8000	6200
14	131100–216600 (लेवल–13A)	11800	8000	6600
15	144200–218200 (लेवल–15)	12000	8000	7000
16	182200–224100 (लेवल–16)	12000	8000	7000
17	225000 (लेवल–17)	12000	8000	7000

2. ऐसे अधिकारी/कर्मचारी, जो उत्तराखण्ड के बाहर नियुक्त है को मकान किराया भत्ता उसी दर पर अनुमन्य होगा जो उस नगर में नियुक्त भारत सरकार के कर्मचारियों को अनुमन्य है।

3. संशोधित मकान किराया भत्ता ऐसे समस्त पूर्णकालिक सरकारी कर्मचारियों को अनुमन्य होगा जिन्हें सरकारी आवास उपलब्ध नहीं कराया गया है।

4. ऐसे राज्य कर्मचारियों, विभिन्न विभागों के राजकीय एवं सहायता प्राप्त शिक्षण/प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों (यू०जी०सी०, ए०आई०सी०टी०ई०, आई०सी०ए०आर० वेतनमानों से आच्छादित पदों को छोड़कर) को, जिनके द्वारा पुनरीक्षित वेतन संरचना चुनने का विकल्प दिया गया हो अथवा मान लिया गया हो अथवा दिनांक 01 जनवरी, 2016 के पश्चात सेवा में नियुक्त हुए हो, के मकान

I.T
upload on
24.1.19

(देवेन्द्र शाह)
अधिशासी अभियन्ता

Modo - manage your online data. Learn More>

किराया भत्ता के सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों को इस शासनादेश के प्रभावी होने की तिथि से केवल उक्त सीमा तक ही संशोधित समझा जाय।

5. अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के सम्बन्ध में पृथक से आदेश निर्गत किये जायेंगे।

6. यू0जी0सी0, ए0आई0सी0टी0ई0, आई0सी0ए0आर0 वेतनमानों से आच्छादित कार्मिकों के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति से आदेश जारी किये जायेंगें।

7. मकान किराया भत्ते के सम्बन्ध में पूर्व में लागू शर्तें एवं प्रतिबन्ध उक्त सीमा तक संशोधित समझे जाय। शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

संख्याः 19 (1)/XXVII(7)/18–50(14)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. मुख्य स्थानिक आयुक्त उत्तराखण्ड, नई दिल्ली।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं हकदारी, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
9. निदेशक, विभागीय लेखा, 23 लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
10. निदेशक आडिट निदेशालय, देहरादून।
11. वित्त अधिकारी/कुल सचिव, समस्त राजकीय विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड।
12. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)
अपर सचिव।

I.T
up load करें
24.01.19
(देवेन्द्र शाह)
अधिशासी अभियन्ता

Modo - manage your online data. Learn More>